

आदेश बइजलास प्रकाश राजपुरोहित, आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 769/2023 (धारा 14 अंतर्गत सिक्योरिटाईजेशन एक्ट)
सूको बैंक, दूदू, जिला जयपुर।

— प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. मैसर्स पवन ट्रेडर्स जरिये विधिक वारिसान प्रोपराईटर स्व. श्री ज्ञानचंद जैन,
 2. स्व. श्री ज्ञानचंद जैन पुत्र श्री चिरंजी लाल जैन जरिये विधिक वारिसान,
 - 2.1. श्रीमती मुन्नी देवी जैन पत्नी स्व. श्री ज्ञानचंद जैन,
 - 2.2. श्री पवन जैन पुत्र स्व. श्री ज्ञानचंद जैन,
 - 2.3. श्रीमती अनिता जैन पुत्री स्व. श्री ज्ञानचंद जैन,
 - 2.4. श्रीमती सीमा जैन पुत्री स्व. श्री ज्ञानचंद जैन,
- पता:- सावरदा संस्कार पब्लिक स्कूल के सामने, तहसील दूदू, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण/ऋणी एवं गारन्टर



Application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act, 2002

उपस्थित :-

1. श्रीमती अंजुम, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से

आदेश

दिनांक 13.07.2023

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को पुर्नभुगतान हेतु दिनांक 09.06.2010 को जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्रीमती मुन्नी देवी के स्वामित्व की सम्पत्ति पट्टा नं. 3979, संस्कार पब्लिक स्कूल के सामने, ग्राम पंचायत सावरदा, तहसील मौजमाबाद, दूदू, जिला जयपुर क्षेत्रफल 137 वर्गगज को बंधक कर कुल राशि 07,00,000/-रुपये की राशि का ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण का भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 28.03.2023 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गए। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक उक्त सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर



3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 07,00,000/-रूपये की राशि का ऋण स्वीकृत किया गया, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास बंधक रखी गई है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल राशि 07,05,031/- रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 28.03.2023 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जबाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा बैंक को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्थन में आवश्यक शपथ प्रस्तुत कर दिया है।
4. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्रीमती मुन्नी देवी के स्वामित्व की बंधक सम्पत्ति पट्टा नं. 3979, संस्कार पब्लिक स्कूल के सामने, ग्राम पंचायत सावरदा, तहसील मौजमाबाद, दूदू, जिला जयपुर क्षेत्रफल 137 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर / पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जावे। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

6. आदेश दिनांक 13.07.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।



(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर